HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2016

No. S.O. 68/H.A. 2008/25/Ss.8,9, 10 and 83/2011.— In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008) and in supersession of Haryana Home Department Notification No. S.O. 68/H.A. 2008/25/Ss. 8, 9, 10 and 83/2011 dated the 9th August, 2011, the Governor of Haryana hereby establishes the office of Commissionerate of Police for the area falling within the limits and the jurisdiction of the revenue district of Panchkula, known as the Commissionerate of Police of Panchkula and appoints an officer, not below the rank of the Inspector General of Police as the Commissioner of Police, who shall be the head of police force in the said Commissionerate of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the said Act, the Governor of Haryana hereby declares that for the purpose of administration and supervision of the police force, the Commissionerate of Police of Panchkula shall be a Police Range;

Further, in exercise of the powers conferred by Section 10 of said Act, the Governor of Haryana hereby declares that the Commissionerate of Police of Panchkula shall be divided into the following police district, to be headed by a Deputy Commissionerate of Police in the rank of Superintendent of Police, namely: -

Sr. No.	Police District	Area/Jurisdiction
1.	Police District, Panchkula	Police Station – Kalka Police Station – Pinjore Police Station – Sector-5, Panchkula Police Station – Sector-14, Panchkula Police Station – Sector-19, Panchkula Police Station – Mansa Devi Complex Police Station – Chandi Mandir

Further, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 8 of the said Act, the Governor of Haryana hereby to empower the Commissioner of Police to exercise and perform, within the jurisdiction of Police Commissionerate of Panchkula, the powers and duties of a District Magistrate for the purpose of Section 22 and 23 of the Code of Criminal Procedure. 1973 (Act 2 of 1974), in relation to the officers subordinate to him and for the acts mentioned in the Schedule;

Further, in exercise of the powers conferred by the first proviso to clause (ii) of Section 8 of the said Act, the Governor of Haryana hereby directs that any of the powers, functions and duties, responsibilities or authority, exercisable or to be performed or discharged by the Commissioner of Police shall be exercisable or to be performed or discharged by the Commissioner of Police shall be exercised or discharged subject to the control of the Director General of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Haryana hereby appoints Commissioner of Police, Panchkula as Executive Magistrate to exercise the powers and discharge duties under the Sections 107 to 122 and 124 of Chapter VIII and of a District Magistrate under Sections 133 and 144 of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), in the Commissionerate of Police of Panchkula;

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Haryana hereby appoints the officers subordinate to the Commissioner of Police (not below the rank of Assistant Commissioner of Police) as Executive Magistrate for the purposes of Sections 107 to 122,124, 133 and 144 of the said Code and further declares that every such officer subordinate to the Commissioner of Police shall, exercise and perform powers and duties of an Executive Magistrate, subject to the general control of the Commissioner of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Governor of Haryana hereby appoints Deputy Commissioner of Police heading a police district to exercise the powers and perform the functions and duties of the District Magistrate under the said Act within his jurisdiction;

Further, in exercise of the powers conferred by Section 83 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby authorizes the Deputy Commissioner of Police in charge of a police district to exercise powers and perform functions and duties of the District Superintendent of Police within his jurisdiction.

The Commissionerate of Panchkula shall start functioning from the date on which the Commissioner of Police appointed by the State Government assumes charge of Commissionerate. The police system prevailing in the revenue district of Ambala before issuance of the Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O 68/H.A. 2008/25/Ss.8,9,10 and 83/2011, dated the 9th August, 2011 is restored and shall start functioning with immediate effect.

Schedule

1. The Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908)
2. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956)
3. The Prevention of Seditious Meetings Act, 1911 (10 of 1911)
4. The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (22 of 1922)
5. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967)
6. The Foreigners Act, 1946 (31 of 1946)
7. The Indian Criminal Law Amendment Act, 1908 (14 of 1908)
8. The Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923)
9. The Sarai Act, 1867 (22 of 1867)
10. The Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958)
11. The Dramatic Performance Act, 1876 (19 of 1876).

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

54711—C.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 169-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 18, 2016 (ASVINA 26, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्तूबर, 2016

संख्या 6/20/2010–2एच०(सी०).— हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, गृह विभाग अधिसूचना संख्या का०आ० 68/ह०अ० 2008/25/ धारा 8,9,10 तथा 83/2011 दिनांक 9 अगस्त, 2011 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंचकूला के राजस्व जिले की सीमाओं तथा अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए पंचकूला के पुलिस आयुक्तालय का कार्यालय स्थापित करते हैं तथा अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, को पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं, जो उक्त पुलिस आयुक्तालय में पुलिस बल का मुखिया होगा ;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि पंचकूला का पुलिस आयुक्तालय पुलिस बल के प्रशासन और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए पुलिस रेंज होगा ;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि पुलिस आयुक्तालय, पंचकूला निम्नलिखित पुलिस जिला में विभाजित किया जाएगा, जिसका मुखिया पुलिस अधीक्षक की पदवी में पुलिस उपायुक्त होगा, अर्थात् :–

पुलिस जिला	क्षेत्र/अधिकारिता
पुलिस जिला, पंचकूला	पुलिस स्टेशन, कालका पुलिस स्टेशन, पिंजौर पुलिस स्टेशन, सैक्टर–5, पंचकूला पुलिस स्टेशन, सैक्टर–14, पंचकूला पुलिस स्टेशन, सैक्टर–19, पंचकूला पुलिस स्टेशन, मनसा देवी कम्पलैक्स पुलिस स्टेशन, चंडी मंदिर

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 8 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पुलिस आयुक्तालय, पंचकूला के अधिकारिता के भीतर पुलिस आयुक्त को उसके अधीनस्थ अधिकारियों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 22 तथा 23 के प्रयोजन के लिए और अनुसूची में वर्णित अधिनियमों हेतु जिला मेजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करते हैं।

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 8 के खंड (ii) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश करते हैं कि पुलिस आयुक्त द्वारा प्रयोज्य किन्हीं शक्तियों या किए जाने वाले कृत्यों तथा कर्तव्यों या निर्वहन की जाने वाली जिम्मेवारियों या प्राधिकार का प्रयोग या निर्वहन पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अध्याधीन होगा।

आगे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पुलिस आयुक्त, पंचकूला का पुलिस आयुक्तालय, पंचकूला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII की धारा 107 से 122 और 124 के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में तथा अध्याय X की धारा 133 तथा 144 के अधीन जिला मेजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करते हैं।

आगे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों (पुलिस सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो) को उक्त संहिता की धारा 107 से 122, 124, 133 और 144 के प्रयोजनों के लिए कार्यकारी मेजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं और आगे घोषणा करते हैं कि पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ प्रत्येक ऐसा अधिकारी पुलिस आयुक्त के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्यकारी मेजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

आगे शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पुलिस उपायुक्त का पुलिस उपायुक्त को उक्त अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता के भीतर जिला मेजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिला पुलिस का मुखिया नियुक्त करते हैं।

आगे, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पुलिस उपायुक्त को उसकी अधिकारिता के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए जिला पुलिस का कार्यभारी प्राधिकृत करते हैं।

पंचकूला आयुक्तालय उस तिथि जिसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस आयुक्त आयुक्तालय का प्रभार ग्रहण करता है से कार्य करना शुरू करेगा। हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 68/ह०अ०2008/25/धारा 8,9,10 तथा 83/2011 दिनांक 9 अगस्त, 2011 के जारी होने से पूर्व अम्बाला जिला राजस्व में चालू पुलिस प्रणाली पुनः स्थापित करते हैं तथा तुरन्त प्रभाव से कार्य शुरू करेगा।

अनुसूची

1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6)
2. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104)
3. राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1911 (1911 का 10)
4. पुलिस (द्रोह–उदीपन) अधिनियम, 1922 (1922 का 22)
5. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37)
6. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31)
7. भारतीय दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (1908 का 14)
8. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19)
9. सराय अधिनियम, 1867 (1867 का 22)
10. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20)
11. नाटय प्रदर्शन अधिनियम, 1867 (1867 का 19)

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 28-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017 (MAGHA 25, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 फरवरी, 2017

संख्या 6/20/2010–2 एच(सी).– हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007(2008 का 25), की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 6/20/2010–2एच(सी), दिनांक 18 अक्तूबर, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 6/20/2010–2 एच(सी), दिनांक 18 अक्तूबर, 2016 में, पैरा 3 में, खाना 'क्षेत्र/अधिकारिता' में, ''पुलिस स्टेशन चण्डी मन्दिर'' प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:–

''पुलिस स्टेशन–रायपुर रानी

पुलिस स्टेशन यातायात, पंचकूला

महिला पुलिस स्टेशन, पंचकूला''।

दिनांक 08 फरवरी, 2017.

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 14th February, 2017

No. 6/20/2010-2H(C).— In exercise of the powers conferred by Section 8 of The Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Home Department, Notification No. 6/20/2010-2H(C), dated the 18th October, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Home Department, Notification No. 6/20/2010-2H(C), dated the 18th October, 2016, in para 3, under column area/jurisdiction, after the entries "Police Station Chandi Mandir", the following entries shall be added, namely :–

"Police Station – Raipur Rani

Police Station – Traffic, Panchkula

Women Police Station – Panchkula".

The 8th February, 2017

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

55007—C.S.—H.G.P., Chd.

भाग – III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अगस्त, 2011

संख्या का० आ० 68/ह० अ० 2008/25/धा० 8, 9, 10 तथा 83/2011.— हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा अम्बाला तथा पंचकूला के राजस्व जिलों की सीमाओं तथा अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र के लिए पुलिस आयुक्तालय, अम्बाला तथा पंचकूला के रूप में ज्ञात पुलिस आयुक्तालय का कार्यालय स्थापित करते हैं तथा अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, को पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं जो उक्त पुलिस आयुक्तालय में पुलिस बल का मुखिया होगा;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि पुलिस बल के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिये पुलिस आयुक्तालय, अम्बाला–पंचकूला पुलिस रेंज होगा ;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि पुलिस आयुक्तायलय, अम्बाला–पंचकूला निम्नलिखित पुलिस जिलों में विभाजित किया जायेगा जिसका मुखिया पुलिस अधीक्षक की पदवी में पुलिस उपायुक्त होगा, अर्थात :–

क्रम संख्या	पुलिस जिला	क्षेत्र अधिकारिता
1	पुलिस जिला अम्बाला	पुलिस थाना, अम्बाला शहर पुलिस थाना, बलदेव नगर पुलिस थाना, पंजोखरा पुलिस थाना, अम्बाला सदर पुलिस थाना, नंगल पुलिस थाना, अम्बाला कैन्ट पुलिस थाना, महेश नगर पुलिस थाना, पराओ
2	पुलिस जिला पंचकूला	पुलिस थाना, कालका पुलिस थाना, पिंजौर पुलिस थाना, सैक्टर–5, पंचकूला पुलिस थाना, सैक्टर–14, पंचकूला पुलिस थाना, सैक्टर–19, पंचकूला पुलिस थाना, मनसा देवी कम्पलैक्स पुलिस थाना, चण्डी मन्दिर

3	पुलिस जिला, अम्बाला ग्रामीण	पुलिस थाना, नारायणगढ पुलिस थाना, रायपुर रानी पुलिस थाना, शहजादपुर पुलिस थाना, मुलाना पुलिस थाना, बराड़ा पुलिस थाना, साहा

आगे अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, पुलिस आयुक्त को उसके अधीनस्थ अधिकारियों के संबध में पुलिस आयुक्तालय, अम्बाला–पंचकूला की अधिकारिता के भीतर दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 22 तथा 23 के प्रयोजन के लिए तथा अनुसूचि में वर्णित अधिनियमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करते हैं ।

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ii) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निदेश करते हैं कि पुलिस आयुक्त द्वारा प्रयोज्य किन्हीं शक्तियों या किये जाने वाले कृत्यों तथा कर्तव्यों या निर्वहन की जाने वाली जिम्मेवारियों या प्राधिकार का प्रयोग तथा निर्वाहन पुलिस महानिदेशक के नियन्त्रण के अध्यधीन होगा ।

आगे, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा पुलिस आयुक्त, अम्बाला–पंचकूला को पुलिस आयुक्तायलय, अम्बाला–पंचकूला में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII की धारा 107 से 122 तथा 124 के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में तथा अध्याय X की धारा 133 तथा 144 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं ।

आगे, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारियों (पुलिस सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो) को उक्त संहिता की धारा 107 से 122, 124, 133 तथा 144 के प्रयोजन के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं तथा आगे धोषणा करते हैं कि पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ प्रत्यें ऐसा अधिकारी पुलिस आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण के अध्यधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा ।

आगे, शस्त्र अधिनियम , 1959 (1959 का 54) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पुलिस उपायुक्त को उक्त अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता के भीतर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिला पुलिस का मुखिया नियुक्त करते हैं;

आगे, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल पुलिस उपायुक्त इसके द्वारा को उसकी अधिकारिता के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिला पुलिस का कार्यभारी प्राधिकृत करते हैं ।

पुलिस आयुक्तालय अम्बाला–पंचकूला उस तिथि से कार्य करना शुरू करेगा जिसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, पुलिस आयुक्त आयुक्तालय का कार्यभार ग्रहण करेगा।

अनुसूची

1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6)
2. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104)
3. राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1911 (1911 का 10)
4. पुलिस (दो–32) अधिनियम, 1922 (1922 का 22)
5. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37)
6. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31)
7. भारतीय दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (1908 का 14)
8. शासकीय गुप्त बात अधिनिमय, 1923 (1923 का 19)
9. सराय अधिनियम, 1867 (1867 का 22)
10. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20)
11. नाटय प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (1876 का 19)।

समीर माथुर,
वितायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।

[*Authorised English Translation*]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 9th August, 2011

No S.O. 68/H.A. 2008/25/S. 8, 9, 10 and 83/2011.— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby establishes the office of Commissionerate of Police for the area falling within the limits and the jurisdiction of the revenue districts of Ambala and Panchkula, known as the Commissionerate of Police of Ambala-Panchkula and appoints an officer, not below the rank of the Inspector General of Police as the Commissioner of Police, who shall be the head of police force in the said Commissionerate of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by section 9 of the said Act, the Governor of Haryana hereby declares that for the purpose of administration and supervision of the police force, the Commissionerate of Police of Ambala-Panchkula shall be a Police Range;

Further, in exercise of the powers conferred by section 10 of the said Act, the Governor of Haryana hereby declares that the Commissionerate of Police of Ambala-Panchkula shall be divided into the following police districts, each to be headed by a Deputy Commissioner of Police in the rank of Superintendent of Police, namely:-

Sr. No	Police District	Area/Jurisdiction
1	Police District, Ambala	Police Station-Ambala City Police Station-Baldev Nagar Police Station-Panjokhera Police Station-Ambala Sadar Police Station-Naggal Police Station-Ambala Cantt. Police Station-Mahesh Nagar Police Station-Parao
2	Police District, Panchkula	Police Station-Kalka Police Station-Pinjore Police Station-Sector-5, Panchkula Police Station-Sector-14, Panchkula Police Station-Sector-19, Panchkula Police Station-Mansa Devi Complex Police Station-Chandimandir

3	Police District, Rural, Ambala	Police Station-Nariangarh Police Station-Raipur Rani Police Station-Shehzadpur Police Station-Mullana Police Station-Barara Police Station-Saha

Further, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 8 of the said Act, the Governor of Haryana is pleased to empower the Commissioner of Police to exercise and perform, within the jurisdiction of Police Commissionerate of Ambala-Panchkula, the powers and duties of a District Magistrate for the purpose of section 22 and 23 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1964), in relation to the officers subordinate to him and for the Acts mentioned in the Schedule;

Further, in exercise of the powers conferred by the first proviso to clause (ii) of section 8 of the said Act, the Governor of Haryana hereby directs that any of the powers, functions and duties, responsibilities or authority, exercisable or to be performed or discharged by the Commissioner of Police shall be exercised or discharged subject to the control of the Director General of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Haryana hereby appoints Commissioner of Police, Ambala-Panchkula as Executive Magistrate to exercise the powers and discharge duties under the sections 107 to 122 and 124 of Chapter VIII and of a District Magistrate under sections 133 and 144 of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 in the Commissionerate of Police of Ambala-Panchkula;

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Governor of Haryana hereby appoints the officers subordinate to the Commissioner of Police (not below the rank of Assistant Commissioner of Police) as Executive Magistrates for the purposes of section 107 to 122, 124, 133 and 144 of the said Code, and further declares that every such officer subordinate to the Commissioner of Police shall, exercise and perform powers and duties of an Executive Magistrate, subject to the general control of the Commissioner of Police;

Further, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Governor of Haryana hereby appoints Deputy Commissioner of Police heading a police district to exercise the powers and perform the functions and duties of the District Magistrate under the said Act within his jurisdiction;

Further, in exercise of the powers conferred by section 83 of the Haryana Police Act, 2007, the Governor of Haryana hereby authorizes the Deputy Commissioner of Police in charge of a police district to exercise powers and

perform functions and duties of the District Superintendent of Police within his jurisdiction.

The Commissionerate of Ambala-Panchkula shall start functioning from the date on which the Commissioner of Police appointed by the State Government assumes charge of Commissionerate.

SCHEDULE

1. The Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908)
2. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956)
3. The Prevention of Seditious Meetings Act, 1911 (10 of 1911)
4. The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (22 of 1922)
5. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967)
6. The Foreigners Act, 1946 (31 of 1946)
7. The Indian Criminal Law Amendment Act, 1908 (14 of 1908)
8. The Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923)
9. The Sarai Act, 1867 (22 of 1867)
10. The Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958)
11. The Dramatic Performance Act, 1876 (19 of 1876).

SAMIR MATHUR,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Home Department.

48953–L.R.–H.G.P., Chd.